भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फॅक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/ दिनांक : नवम्बर,2004

परिपत्र सं. 4
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1 नोडल अभिकरण द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है ने दिनांक 5 अक्तूबर,2004 के पत्र संख्या एमएचओ/3892/डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए कोहिनूर सहकारी बैंक लि. को सहयोजित किया है ।

(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौधिगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिये नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 6 अक्तूबर,2004 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ/टीयूएफएस(6) द्वारा प्रौधिगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिये जनकल्याण सहकारी बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

नई दिल्ली में दिनांक 15 अक्तूबर,2004 को प्रौधिगिकी उन्नयन निधि योजना पर अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

(i) **कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत नई कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 25,000 तकुओं से घटाना । कॉटन रिंग पद्धति के अंतर्गत नई कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 25,000 तकुओं से घटाकर 12,000 तकुए कर दिया गया है ।**

(ii) **कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार प्रचलित 12,000 तकुओं से घटाना ।**

(क) कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत वर्तमान में स्थित कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 12,000 तकुओं से 8,000 तकुए कर दिया गया है।

(ख) पिछले जोड़ के रूप में कैप्टिव यार्न की आवश्यकता के लिये वर्तमान में स्थित नीटिंग, गारमेंटिंग तथा विद्युतकरघा इकाइयों को भी कम से कम 8000 तकुओं तक की नई कताई इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है ।

(iii) **प्रौधिगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत नई कताई इकाइयों के लिये डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ की शर्त को तथा वर्तमान कताई इकाइयों के विस्तार की शर्त को हटाया जाना।**

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत नई कताई इकाइयों के लिये डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ की शर्त तथा वर्तमान कताई इकाइयों के विस्तार को हटा दिया गया है । यह निर्णय ऐसी सभी इकाइयों को लागू होगा जो पिछले डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ के मापदंडों की शर्तो पर बन रहीं हैं/ विस्तार कर रही हैं ।

कृपया प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के उपरोक्त संशोधन/छूट को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक